कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र प्रतापपुर

Email ID roprtatappur1@gmail.com

क्रमांक / 1923 प्रतापपुर, दिनांक 30.6.025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व प्रतापपुर

विषय :- निजि राजस्व भूमि से निलगिरी वृक्ष का अवैध कटाई एवं परिवहन करते जप्त वाहन क्रमांक HR 58 D- 1511 को आवश्यक कार्यवाही करने बावत् ।

--00--

विषयातर्गत लेख है कि दिनांक 29.06.2025 को सुबह 07.30 बजे अवरोध नाका धरमपुर मे 1 सहजान आ0 समीम अहमद उम्र 22 वर्ष जाति मुस्लमान सा0 फरीदपुर भोगन, खरक, बिजनोर, उत्तर प्रदेश, 2. मो0 शाहबान आ0 समीम अहमद उम्र 25 वर्ष जाति मुस्लमान सा0 फरीदपुर भोगन, खरक, बिजनोर, उत्तर प्रदेश वाहन क्र. HR 58 D-1511 द्वारा श्री हरिभजन सिंह आ0 तिवारी सिंह ग्राम बेलदगी तह0 लखनपुर जिला सरगुजा के खसरा क्रमांक 45 रकबा 0.486 हे0 मे निलगिरी का लकडी 100 नग काट कर परिवहन किया जा रहा था। बेरियर मे जांच के दौरान मौके मे वाहन चालक से वृक्षो के कटाई के संबंधित दस्तावेज में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर का पत्र क्रमांक 175 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा रोपित वृक्षो की कटाई का अनुमति प्राप्त है परन्तु ग्राम पंचायत बेलदगी द्वारा परिवहन प्रमाण पत्र मे सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर पाये जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच से दुरभाष से चरचा उपरांत सरपंच द्वारा बताया गया की यह हस्ताक्षर एवं परिवहन प्रमाण पत्र फर्जी है जिसे मेरे द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। एवं वनरक्षक द्वारा वाहन चालक का बयान में उक्त नीलगिरी का लकडी सूरजपुर एवं सीतापुर क्षेत्र से कटाई कर परिवहन करना बताया गया है जो अनुविभागीय अधिकारी रा0 उदयपुर का अनुमती से विपरित है। प्रारंभिक दृष्टया में ये कृत्य वृक्षो की कटाई नियम 2022 के उल्लघन प्रतीत हो रहा है।

अतः वृक्षों कटाई के नियम 2022 के उल्लंघन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु वाहन (लकडी सहित) आपको सुपुर्द किया जाता है। इस प्रकरण पर की कई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

R-1

वन परिक्षेत्राधिकारी
प्रतापपुर

पृ0 क्रमांक / 1924 दिनांक 30.6.025

प्रतिलिपि :- 1. वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमण्डलाधिकारी प्रतापपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार प्रतापपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. चौकी प्रभारी खडगवां को सूचनार्थ प्रेषित।

वन परिक्षेत्राधिकारी
प्रतापपुर

CamScanner

प्रति,

श्रीमान् वनपरिक्षेत्राधिकारी महोदय,
वन परिक्षेत्र प्रतापपुर वनमण्डल सूरजपुर
जिला सूरजपुर (छ०ग०)

विषय:- ट्रक द्वारा युकेलिप्टस की लकड़ी का अवैध परिवहन करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आज दिनाँक 29/06/025 को वनोपज जाँच नाका धरमपुर मे वाहनो की जाँच के दौरान सुबह 7:30 AM को एक BHARAT BENZ ट्रक क्रमांक- HR-58 D-1511 में युकेलिप्टस के लगभग 100 नग लट्ठा पाया गया। जिनसे वैध दस्तावेज की माँग करने उनके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) उदयपुर, सरगुजा (छ.ग.) का अनुज्ञा पत्र क्रमांक 175/वाचक/2025 उदयपुर दिनाँक 12/03/025 दिखाया गया जिसमे 06 (छः) शर्तों के आधार पर अनुज्ञा प्रदान करते हुये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि (छ०ग०) वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर अनुज्ञा शून्य होगी। इसके पश्चात् भी उनके द्वारा न ही खातेदारो की सहमती ली गई है। (शर्त क्र० 03) और न ही परिवहन पूर्व वन विभाग से अनापत्ती लिया गया है। (शर्त क्र० 05) एवं ग्राम कुदरगढ़ पंचायत द्वारा जारि परिवहन प्रमाण पत्र एवं प्ररूप-ख मे जारी कर्ता सरपंच का हस्ताक्षर फर्जी प्रतित होता है।

अतः श्रीमान् जी की ओर ट्रक लकड़ी लोड सहीत एवं ड्राईवर को अपने सुपुर्द मे लेकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। जिससे हमारे छ.ग. के हरियाली की अवैध कटाई एवं परिवहन को रोका जा सके।

दिनाँक 29/06/025

(हस्ताक्षर)
प्रभारी प्रभारी
वनोपज जाँच नाका धरमपुर
वन परिक्षेत्र प्रतापपुर

संलग्न:-
(1) जप्ती नामा
(2) समस्त मूल दस्तावेज

बयान
—॥—

मैं मो० शाहबान S/O समिम अहमद उम्र-25 वर्ष जाति मुसलमान ग्रा० फरीदपुर भोगन, थरक बिजनौर उत्तर प्रदेश पिन कोड- 246701 का निवासी हूँ एवं ट्रक ड्राईवरी का कार्य कर्ता हूँ।

मैं आज दिनाँक 29/06/025 को वन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना सच-सच बयान दर्ज करता हूँ कि ~~कल~~ दिनाँक 28/06/025 को समय लगभग 3:00 बजे सूरजपुर के बाईपास मे आधा लोड किये एवं आधा लकड़ी सितापुर से 1.5 km अन्दर जाकर कल दिनाँक 28/06/025 को लोड किये एवं वहीं पर बाबर नाम का व्यक्ति जो लकड़ी करवाला है एवं भेजवाता है के द्वारा कागज दिया गया जिसे लेकर मैं और मेरा भाई सहजान दोनो ट्रक एवं लकड़ी लेकर बंगाल जा रहे थे तो वनोपज जाँच नाका धरमपुर में रोककर वैध दस्तावेज की माँग किया गया। तब मेरे पास जो कागज था उसे दिखाया

बस मेरा यही बयान है जो सत्य एवं सही बयान लिखवाकर, पढ़वाकर, सुनकर सही पाकर अपना हस्ताक्षर किया।

शाहबान